1116
21/2/13
बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

खण्ड : 6 संख्या : 24

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(षष्ठम् सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सत्यमेव जयते

शुक्रवार, दिनांक : 26 जुलाई 1996 ई०

श्री राम लषण राम "रमण" : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 तिथि 5 अगस्त, 1996 तक जनमत जानने के लिए परिचारित हो।"

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरक्षण की जो सुविधा इसमें दी गयी है उसके लिए यह सरकार धन्यवाद की पात्र है लेकिन आरक्षण में जो त्रुटियां रह गयी है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि जो मैंने खण्डश: संशोधन दिया है उस पर मैं स्पष्ट करूंगा कि इसमें छात्रों को किस तरह आरक्षण की सुविधा से वंचित किया गया है। मैं उसके बारे में खण्डश: विचार के वक्त कहूंगा।

श्री रघुनाथ झा : तब इसको आप विथड्रा कर लीजिये, उसी समय कहियेगा।

श्री राम लषण राम "रमण" : ठीक है, मैं वापस लेता हूं।

(सभा की सहमति से संशोधन वापस लिया गया।)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अम्बिका बाबू अपना प्रस्ताव मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहले व्यवस्था का प्रश्न इस पर है कि आप बोलते हैं कि माननीय सदस्य मूव करेंगे या वापस लेंगे तो मेरा इस पर कहना है कि पहले मूव होने के बाद वापस हुआ करता है इसलिए यह नहीं अध्यक्ष महोदय आप बोलें, मैंने बहुत बार कहा आपको सीधे पूछना चाहिए कि

मूव करते हैं कि नहीं जब मूव हो जायेगा तब पूछेंगे कि वापस लेंगे कि नहीं। यह बहुत ही क्रांतिकारी और प्रगतिशील बिल है।

अध्यक्ष : अम्बिका बाबू ने जो कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं मैं दोनों राय चाहता हूं। मूव नहीं करे तो पहले ही मामला समाप्त हो जाय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996" पर विचार हो।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : अब मैं खण्डश: लेता हूं। खण्ड-2 में 5 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री दुती पाहन अपना संशोधन मुव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री दुती पाहन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक के खण्ड-2 के उपखण्ड (3) की मद (ख) में शब्द "आदिवासी महिला स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत जोड़ा जाय।"

अध्यक्ष महोदय, बिल को देखा जाय। अनुसूचित जाति के लिये स्वीकृत स्थान का 14 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति के लिये स्वीकृत स्थान का 10 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये स्वीकृत स्थान 10 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिये स्वीकृत स्थान का 10 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग की महिला के लिये स्वीकृत स्थान का 2 प्रतिशत रखा गया है।

इसका मतलब यह है कि महोदय, सरकार को अंदेशा है कि ऐसा भी प्रिंसिपल हो सकता है जो पिछड़े वर्ग की महिला की उपेक्षा करें; इसी को ध्यान में रखते हुये पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 2 प्रतिशत रखा गया है। हरिजन-आदिवासी महिलाओं की भी उपेक्षा हो सकती हं, खतरा उत्पन्न हो सकता है और उनको दाखिला नहीं मिल सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आदिवासी महिलाओं का भी दाखिला हो। इसलिये मैं संशोधन दिया है कि आदिवासी महिला के लिये स्वीकृत स्थान का एक प्रतिशत जोड़ा जाय।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण का जो प्रावधान है, वह संविधान के तहत 50 प्रतिशत तक ही करना है। उसी के आधार पर एस. सी., एस. टी. सी. अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिये 26-24 प्रतिशत में रखा गया है। जो आदिवासी भाई है, महिला हैं, उनका आरक्षण सुनिश्चित है, वे आयेंगे ही। उसी के मूल आधार पर नामांकन में आरक्षण किया जा रहा है।

श्री दुती पाहन : अध्यक्ष महोदय, जनता दल की सरकार 76 प्रतिशत आरक्षण की हिमायती है, इसलिये आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो अनूसूचित जनजाति के लिये जो 10 प्रतिशत आरक्षण है, उसको 9+1 किया जा सकता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री दुती पाहन जी, मंत्री ने कहा और मैं भी कहना चाहता हूं कि आरक्षण का जो एक्ट बना हुआ हं और उसमें जो प्रावधान है। अगर उसको कोई इधर-उधर करेगा तो

दंड का भागी होगा। इसलिये आपको खासकर वहां का जो आरक्षण है, उसमें आप लोगों को नहीं सोचना चाहिये।

श्री उपेन्द्र नाथ दास : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के लिये स्वीकृत स्थान का 14 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिये स्वीकृत स्थान का 10 प्रतिशत है। उसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये स्वीकृत स्थान का 14 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिये स्वीकृत स्थान का 10 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिये स्वीकृत स्थान का दो प्रतिशत है।

महोदय, एस. सी., एस. टी. और पिछड़े वर्ग की जो महिला है, वह उसके लिये है, न कि सिर्फ पिछड़े वर्ग की महिला के लिये है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र नाथ दास जी, आप उस एक्ट को पढ़िये । उसमें लिखा हुआ है, हमारे कन्स्टीच्यूशन में भी मात्र पिछड़ी जाति है। इसलिये आरक्षण के बाद भी अगर हरिजन और आदिवासी, अनूसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति की महिला बचेगी तो उनको प्राथमिकता मिलेगी, फिर अत्यंत पिछड़ी जाति और तब पिछड़ी जाति के लिये होगा।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति करके एक्ट में नहीं है। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिये 2 प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है तो एस. सी., एस. टी. महिलाओं के लिये अलग से आरक्षण करेंगे या पिछड़े वर्ग के महिलाओं में ही इनक्लूड करेंगे ? पिछड़े वर्ग की महिला में एस. सी., एस. टी. महिला नहीं आती है।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, 50 प्रतिशत का आरक्षण है और उसमें आदिवासी भाई को 10 प्रतिशत महिला सम्वर्ग के साथ होता है। 50 प्रतिशत ही 24 और 26 के हिसाब से होता है।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी 50 प्रतिशत की बात कह रहे हैं, इसमें 2 प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षण कर रहे हैं तो एक प्रतिशत पिछड़े वर्ग की महिला और एक प्रतिशत एस. सी., एस. टी. के महिलाओं के लिये आरक्षण करें, ऐसा करने में आपको क्या नुकसान है ?

श्री रघुनाथ झा : महोदय, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बनाया जा गया है। 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 10 प्रतिशत अनूसूचित जनजाति के लिये, इसमें और क्या बात है।

अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आरक्षण का जो एक्ट है, उसको आप पढ़ लीजिये।

श्री उपेन्द्र नाथ दास : अध्यक्ष महोदय, आप इसको देख लीजिये। उसमें पिछड़ा वर्ग महिला नहीं है, सिर्फ पिछड़ा वर्ग है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो लोग इस विधेयक पर बहस करते हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण एक्ट है, उसको आपलोग पढ़ लें।

श्री शकुनी चौधरी : महोदय, 2 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिलता है तो वह बिल्कुल ठीक है।

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न उठा है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये स्वीकृत स्थान का दो प्रतिशत, इसमें मेरा सूझाव है कि पिछड़ा वर्ग को स्वीकृत स्थान का 10 प्रतिशत है, इसी को 12 कर दिया जाय और इसमें महिला-पुरूष दोनों को शामिल कर लिया जाय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अम्बिका बाबू, जब आप इस विधेयक पर विचार करते हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारत का संविधान और अभी जो बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग के संबंध में एक्ट जो पास किया है, उसको देख लीजिये।

श्री अम्बिका प्रसाद : अगर ऐसा नहीं होगा तो इस कानून का अर्थ निकाला जायेगा कि अनुसूचित जाति के लिये जो 14 प्रतिशत दिया गया है, अनुसूचित जाति के लड़कियों के लिये नहीं है, वह उसको अलग कर देंगे। इसलिये सबको समरूप कर दीजिये, सभी महिला-पुरूष को इनक्लूड कीजिये, नहीं तो लोग इसका प्रश्न करेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक के खण्ड-2 के उपखण्ड (3) की मद (ख) में शब्द "आदिवासी महिला स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत" जोड़ा जाय।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री खगेन्द्र प्रसाद अपना संशोधन मुव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री खगेन्द्र प्रसाद : महोदय, मैं मूव करूंगा।

"कि विधेयक के खण्ड-2 के उपखण्ड (3) की मद (ङ) के बाद एक नया मद (च) निम्न रूप में जोड़ा जाय।"

"उच्च जातियों के निर्धन वर्ग-स्वीकृत स्थान का 10 प्रतिशत"।

श्री खगेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं 50 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात की ओर मैं श्रीमान् के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि एक ओर जहां हम आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से गरीब लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, वहीं आर्थिक दृष्टि से निर्धन जो उच्च जाति के लोग हैं, उनको हम आरक्षण से वंचित रखे हुए हैं। मैं कहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूं कि दो वर्षों से जगह-जगह घूमते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा की है कि उच्च जाति के जो निर्धन लोग हैं, उनको हम आरक्षण देंगे। जहां तक शिक्षा क्षेत्र का सवाल है तो तमिलनाडू में 69 प्रतिशत आरक्षण है तो 50 प्रतिशत का जो कैरियर है, उसका समाधान निकालें। जब इसी हिन्दुस्तान के दो राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण है। वहां आज भी चल रहा है तो कम-से-कम मेरा आपसे आग्रह है कि जो हमारा संशोधन है, उसमें कम-से-कम उच्च जाति के गरीब परिवार के लोगों के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण निश्चित रूप से किया जाय। मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में जगह-जगह पर घोषणा की है। जब संशोधन विधेयक आ रहा है तो क्यों नहीं उसको जोड़ा जाय। कम-से-कम दस प्रतिशत आरक्षण किया जाय, उच्च जाति के निर्धन लोगों के लिए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक के खंड-2 के उपखंड (3) की मद (ङ) के बाद नया मद (च) निम्न रूप में जोड़ा जाय।"

" उच्च जातियों के निर्धन वर्ग-स्वीकृत स्थान का 10 प्रतिशत।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, खगेन्द्र बाबू का जो दूसरा संशोधन है वह और्डर में नहीं है। ये 50 से 60 बढ़ा देने के लिए कहते हैं। यश पाने के लिए इन्होंने दिया कि हमलोगों के बच्चों भी जो गरीब हैं, उनको 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय। दूसरा तो इनका ऑर्डर में ही नहीं है।

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इससे हरिजन, आदिवासी के बच्चे एवं पिछड़ी जाति के बच्चे आरक्षण के वंचित रह जायेंगे।

श्री खगेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक और तमिलनाडू में कैसे रिज़र्वेशन है। क्या यह हिन्दुस्तान से बाहर है। क्या हिन्दुस्तान के संविधान से अलग है।

अध्यक्ष : आप बैठिए न खगेन्द्र बाबू।

श्री राजो सिंह : इनका तो दूसरा औंर्डर में ही नहीं है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : ठीक है।

क्या माननीय सदस्य श्री राम लषण राम "रमण" अपना संशोधन मूव करेंगे।

श्री राम लषण राम "रमण" : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक के खण्ड-2 के उपखण्ड (3) के मद (ङ) के बाद चौथी पंक्ति में शब्द "स्थानों के विरू" के बाद शब्द "किन्तु" गुणा गुण के आधार पर चुने गये आरक्षित कोटि के छात्रों को भी आरक्षण की अन्य सुविधायें प्राप्त होगी।"

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि सरकार ने जो यह विधेयक लाया है, जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है। वह बहुत ज्यादा भला कर रहे हैं। इसके लिए मैं बड़ाई करता हूं। लेकिन पटना विश्वविद्यालय से मुझको ठोस सूचना मिली है कि जो आरक्षित 50 प्रतिशत कोटि के जो छात्र होंगे, उसके अलावा जो गुणा गुण के आधार पर अपने मैरिट से 50 प्रतिशत पर जायेंगे, उनका एडमीशन होगा तो अन्य तमाम सुविधा से, छात्रावास की सुविधा से, छात्रवृति की सुविधा से वंचित हो जायेंगे। तो ऐसे आरक्षित कोटे के छात्र का क्या होगा। उसको स्पष्ट कीजिए। चूंकि पटना विश्वविद्यालय में जो गुणा गुण के आधार पर 50 प्रतिशत छात्र हैं, उनको अन्य सुविधा नहीं मिलती, सरकार इसको स्पष्ट करें। मैं समझता हूं कि इसमें स्पष्ट नहीं है। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसलिए मैं इस पर अड़ता हूं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि...

(व्यवधान)

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत-ही महत्वपूर्ण बात है। सरकार को तो इस पर उत्तर देना है। इसके बाद में पुट कीजिए। मैरिट से हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जाति को नामांकन के बाद इनलोगों को स्टाइपंड नहीं मिलेगा, होस्टल की सुविधा नहीं

मिलेगी, क्या यह बात सही है। माननीय सदस्य कहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो इस पर आप बोलिए कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो खत्म करें। ऐसा आश्वासन विधान-सभा में दीजिए। अन्यथा इस सवाल पर, इस अमेंडमेंट पर मत विभाजन की मांग करता हूं, नहीं तो बोलिए।

(व्यवधान)

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह नामांकन की सुविधा के लिए बिल है। होस्टल की सुविधा के लिए बिल नहीं है। होस्टल का नियम अलग है।

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आश्वासन दीजिए अन्यथा मैं इस संशोधन में डिवीजन की मांग करूंगा।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

(व्यवधान)

श्री अम्बिका प्रसाद : कहिए न, जवाब दीजिए।

अध्यक्ष : बहुत-सा जो प्रश्न उठ जाते हैं तो यह कम्प्लीट आरक्षण ऐक्ट का नहीं है। यह स्टेट स्ट्रेटजी मैटर है। सरकार अपने लेवेल से इसको निस्पादन करेंगी।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : महोदय, यह तो नामांकन का प्रोभीजन है, उसका हो रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की कि दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आरक्षण मिलेगा, वह मैरिट वालों को भी मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र चरण यादव : अध्यक्ष महोदय, नामांकन में 50 प्रतिशत के अलावा मैरिट से हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जाति से लोग आयेंगे, जनरल में जो मेरिट से जायेंगे 50 प्रतिशत के अलावा वैसे हरिजन, आदिवासियों, पिछड़ों को होस्टल मिलने में, स्कॉलरशिप मिलने में कोई रोक नहीं है। वे कैसे छूट सकते है ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है-

" कि विधेयक के खंड-2 के उपखंड (3) के मद (ङ) के बाद चौथी पंक्ति में शब्द "स्थानों के विरू" के बाद शब्द "किन्तु गुणा गुण के आधार पर चुने गये आरक्षित कोटि के छात्रों को भी आरक्षण की अन्य सुविधायें प्राप्त होगी।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

क्या माननीय सदस्य राजो बाबू, आप अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, नहीं मूभ करेंगे ।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : हम इसके लिए राजो बाबू को बधाई देते हैं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड-2 इस विधेयक का अंग बने।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-1 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य राजो बाबू, अपना संशोधन मूव करेंगे।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, नहीं मूव करेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

" कि खंड-1 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

नाम इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 " स्वीकृत हो।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो कालेज एडमिशन के लिए लिमिट है विधेयक में 50 प्रतिशत

आरक्षण का हम समर्थन करते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु जैसा कि हमारे मित्र खगेन्द्र जी ने कहा कि जब कर्नाटक में 75 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए और तमिलनाडू में 69 प्रतिशत आरक्षण की गयी है तो आपको ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने में क्या आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय, जनता दल के घोषणा मंत्र में है कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया जायेगा। जहां यह सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50 प्रतिशत सीमा से ज्यादा नहीं किया जाय तो मैं अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि तमिलनाडू और कर्नाटक विधान-सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है और केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इस प्रस्ताव को, इस विधेयक को संविधान के नौवें अनुच्छेद में रख दिया जाय और इसी के आलोक में संविधान की 85वीं संशोधन राज्यसभा और लोकसभा ने.....

श्री रवीन्द्र चरण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर हूं। अध्यक्ष महोदय, संविधान के तहत 50 प्रतिशत आरक्षण से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडू ने बढ़ाया तो वह नवम् सूचि में गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री लालू यादव जी ने जाति के आधार पर, जिसकी संख्या है, उसके आधार पर आरक्षण किया जाय, इसकी मांग इन्होंने की लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, दिल्ली में है, कहीं भी आरक्षण देने का काम नहीं किया है।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लिया जाय। महोदय, कर्नाटक और तमिलनाडू में 69 और 75

प्रतिशत आरक्षण है, उसको संविधान का संरक्षण प्राप्त है। वहां की विधान-सभा ने प्रस्ताव पास कर दिया और वह संविधान में संशोधन करके नीचे सिविल में डाल दिया। संविधान की 85वीं संशोधन के द्वारा इन दोनों राज्यों द्वारा पारित विधेयक को नौवी सिडियूल में डाल दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आप अगर ईमानदार हैं, ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण देना चाहते हैं तो विधान-सभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो। दिल्ली में राज्यसभा और लोक-सभा में हमारी पार्टी बी. जे. पी. ने इसका विरोध नहीं किया। आपके घोषणा पत्र में है कि 50 प्रतिशत आरक्षण देंगे, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण करके केन्द्र सरकार से अनुरोध कीजिये और उसको 9 सिडियूल में रख दिया जाय ताकि कोर्ट में इसका कोई आपत्ति नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार से आप उत्तर दिलवाइये कि जिस तरह से कर्नाटक और तमिलनाडु विधान-सभा द्वारा पारित विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा गया है तो बिहार सरकार भी क्यों नहीं रख सकती है। आप ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण देने में क्यों दिक्कत कर रहे हैं।

यह आपकी घोषणा में है, यह आपकी चुनावी घोषणा-पत्र में है। हमने कभी विरोध नहीं किया। हम चाहते हैं कि पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण मिले। आपने 50 प्रतिशत आरक्षण किया है। इसको स्वीकार करते है। ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए भी आरक्षण करें।

(व्यवधान)

श्री राम लषण राम "रमण" : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार की प्रशंसा भी करता हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी की भी प्रशंसा करता हूं कि ये 50 प्रतिशत आरक्षण की कोटि में आनेवाले छात्रों, जो गुण मुख के आधार पर चुने जाते हैं, उसको भी आरक्षण की सुविधा और अन्य आरक्षण संबंधी सुविधा जैसे छात्रवृत्ति आदि, देने शिक्षा मंत्री ने जो घोषणा की है, इसके लिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"कि पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 स्वीकृत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग क्यों बोलते हैं ? संबंधित माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

" पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।"

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : मैं "बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996" को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : पुरःस्थापित पर विचार प्रस्ताव ।

विचार का प्रस्ताव

श्री जयप्रकाश नारायणा यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996" पर विचार हो।"

अध्यक्ष : क्रमानुसार जनमत का प्रस्ताव।

(व्यवधान)

श्री राम लषण राम "रमण" : मैंने जो संशोधन दिया है और उस पर विचार होता है तो सिर्फ पटना विश्वविद्यालय के लिए हुआ है और वह पूरे बिहार राज्य में लागू हो, ऐसी बात नहीं होगी। यह करना होगा। तब तो दो बिल आना ही ?

श्री रवीन्द्र चरण यादव : पटना विश्वविद्यालय एक्ट ही सभी विश्वविद्यालयों में लागू होता है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 की तिथि 31 जुलाई, 1996 तक जनमत जानने के लिए परिचारित हो।"

" यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।"

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अम्बिका बाबू आप अपना प्रस्ताव मूव करेंगे या वापस लेंगे ?